न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्रवाद संख्या : 418/2016 & 185/2019
सरकार बनाम सन्दीप उर्फ संजीत।

दिनांक: 23.06.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित आया। पत्रावली बहस हेतु नियत है। इसी स्तर पर आज सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त सत्रवाद एवं संबंधित सत्रवाद संख्या 418/2016 मु०अ०सं० 239/2016 बनाम संदीप उर्फ संजीत अन्तर्गत धारा 25/4 आयुध अधिनियम थाना खुर्जा देहात में बहस के दौरान यह ज्ञात हुआ कि संबंधित सत्रवाद संख्या 418/2016 की एफ०आई०आर० व जी.डी. के संबंध में साक्षी कां० क्लर्क देवेन्द्र सिंह द्वारा कोई कथन अंकित नहीं किया है और न ही उसके द्वारा उन्हें साबित किया गया है, जिस कारण पत्रावली के उचित न्याय निर्णयन के लिए उक्त साक्षी कां० क्लर्क देवेन्द्र सिंह को साक्ष्य हेतु तलब किया जाए।

बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन के उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण काफी समय से बहस में नियत है। आज न्यायालय द्वारा बहस सुनने के दौरान अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 311 दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया है और बताया गया कि संबंधित सत्रवाद संख्या 418/2016 में संलग्न एफ०आई०आर० व जी.डी. को साक्षी कां० क्लर्क देवेन्द्र सिंह द्वारा साबित नहीं किया गया है, जिस कारण उचित न्याय निर्णयन हेतु उक्त साक्षी को तलब किया जाना आवश्यक है। चूंकि प्रकरण बहस के स्तर पर नियत है, किन्तु यह भी दर्शित है कि अभियोजन की महत्वपूर्ण साक्ष्य जो कि एफ०आई०आर० व जी.डी. से संबंधित है, पेश नहीं हुई है और न ही उक्त प्रपत्र साबित हुए है। **धारा 311 दं०प्र०सं०** में प्रावधान किया गया कि "कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है; और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनःपरीक्षा करेगा।'' इस प्रकार यह दर्शित होता है कि निर्णय से पूर्व किसी भी स्तर पर किसी भी साक्षी को जिसकी साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है, तलब किया जा सकता है। पत्रावली से यह दर्शित होता है कि कां० क्लर्क देवेन्द्र सिंह के बयान पूर्व में अंकित हो चुके है, किन्तु उक्त साक्षी द्वारा सत्रवाद संख्या 418/2016 में संलग्न एफ०आई०आर० व जी.डी. को साबित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उचित एवं वास्तविक न्याय निर्णयन हेतु साक्षी कां० क्लर्क देवेन्द्र सिंह को तलब किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। साक्षी कां० क्लर्क देवेन्द्र सिंह जरिए समन तलब हो। पत्रावली दिनांक 14.07.2026 को पेश हो।

दिनांक: 23.06.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.06.23 17:06:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court